न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः—जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 96/2026
वादपत्र अन्तर्गत धारा :— 88 आरटीए

सुखमन सिंह पुत्र हाकम सिंह जाति जट सिख निवासी शेरगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
वादी

बनाम

1. हाकम सिंह पुत्र किशन सिंह जाति जट सिख निवासी शेरगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
2. रवीन कौर पुत्री हाकम सिंह जाति जट सिख निवासी शेरगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
3. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

उपस्थित — 1. श्री नरेश मण्डा एडवोकेट (वादी)
2. श्री कालु गुर्जर एडवोकेट (प्रति.सं. 1 ता 2)

निर्णय दिनांकः— 24.3.2026

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य निम्नाअनुसार है कि चक 14 एम.के.एस. जमाबंदी सम्वत 2070—2073 के खाता सं. 211/177 प्रतिवादी सं.1 के नाम से कुल 3.289 है. नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जो कि प्रतिवादी सं. 1 को अपने पिता से विरासतन प्राप्त हुई । वादी एवं प्रतिवादीगण के साथ अपनी कृषि भूमि का बटवारा अच्छी—मन्दी के हिसाब से हो चुका है। घरेलू बटवारा के मुताबिक वादी को 2 783है. नहरी कृषि भूमि हिस्सा में आई थी व प्रतिवादी सं. 1 को 0.506 है. कृषि भूमि हिस्सा में आई थी। जिसे वादी, प्रतिवादी सं.—1 के नाम से दर्ज 3.289है. कृषि भूमि में से घरेलू बटवारा के अनुसार 2. 783 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाना चाहता है प्रति.सं.2 ने अपने हिस्से का परित्याग वादी के पक्ष में कर दिया है वादी एवं प्रतिवादी अपनी—अपनी कृषि भूमि पर निर्विवाद रूप से काश्त करते चले आ रहे है कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नही है. जिसकी रूह से वादी उक्त कृषि भूमि की मालिक व काबिज है। जिसका हिस्सा घोषित करवाकर खाता विभाजन करवाने का वादी अधिकारी एवं दावेदार है। वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम से दर्ज रिकार्ड है परन्तु कृषि भूमि का वादी के नाम नहीं होने के कारण हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नही हुआ है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ने घरू तौर पर उक्त कृषि भूमि का बटवारा अनुसार विभाजन कर लिया है। । जिसे वादी अपना घोषित करवाकर खाता विभाजन करवाकर उसी हद तक प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। वादी के कब्जा काश्त की भूमि निम्न प्रकार से हैः—

1. वादी सुखमन सिंह पुत्र हाकम सिंह जाति जट सिख निवासी शेरगढ तहसील संगरिया को प्राप्त कृषि भूमि का विवरण निम्न प्रकार से हैः— चक 14 एम.के.एस. खाता सं. 211/177

प.न.	मु.न.	किला नम्बर
170/243	61	1.2.3.4/0.253है.प्र.5/1/0.228है.. 5/2/0.025 है. गै. मु. रास्ता ,6/1/0.228 है. 6/2/0.025 है. गैमु. रास्ता, 7,8,9,10/0.253 है.प्र.
171/243	62	1/0.253

वादी मौका पर वाद—पत्र की चरण सं. 3 के खण्ड (क) के अनुसार ही काबिज है कब्जा काश्त बाबत् किसी तरह का कोई विवाद नहीं है लेकिन राजस्व रिकार्ड में कब्जा अनुसार हिस्सा घोषित व खाता विभाजित नही होने के कारण वादी के खातेदारी अधिकारो पर बुरा असर पड़ता है व रकम राज वाटरमेन्ट शुल्क आदि राज्य सरकार को अदा करने में कठिनाईया आती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण से कई दफा कहा की आप विवाद ग्रस्त आराजी का वादी को दावा की चरण सं. 3 के अनुसार कृषि भूमि का हिस्सा घोषित कर खाता विभाजित होना मान लो तो प्रतिवादी सं.1 पहले तो

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

टाल मटौल करता रहा लेकिन अंत में पिछले सप्ताह प्रतिवादी, वादी की बात मानने से कतई तौर पर इन्कार हो गये यही वाद कारण है। प्रतिवादी सं. 3 को भूमि धारक होने के कारण पक्षकार के रूप संयोजित किया गया है। वाद कृषि भूमि के जोत के विभाजन का है जो कि उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है व अन्दर मियाद है माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

लिहाजा वाद वादी निम्नानुसार डिक्री फरमाया जावे कि चक 14 एम.के.एस. जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता सं. 211/177 वादी के नाम से वाद–पत्र की चरण सं. 3 के खण्ड (क) के अनुसार हिस्सा घोषित कर उसी हद तक प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम किया जावें।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर मुताबिक राजीनामा वाद को स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 स्टेट की ओर से जवाब स्टेट प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील वादी एवं प्रतिवादी प्रकरण में सहमति/राजीनामा होने के कारण अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं करने के कारण साक्ष्य वादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये व वादीगण ने निम्नानुसार दस्तावेज पेश किये।

1. चक 14 एमकेएस खाता संख्या 211/177 ज.स. 2070–207 जमाबन्दी
2. चक 14 एमकेएस के नामान्तरण संख्या 382 दिनांक 05.02.08 की फोटोप्रति

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वाद में वादी व प्रतिवादीगण आपस मे सहमत है और राजीनामा भी पेश हो चुका है एवं वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। तथा वकिल प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने भी वाद पत्र को मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु अपनी सहमति दौराने बहस दी गई।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाद पत्र में वर्णितानुसार चक 14 एमकेएस खाता संख्या 211/177 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 में वादग्रस्त आराजी दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने राजीनामा पेश कर अपना हक/हिस्सा अनुसार घरू बंटवारा कर लिया है। जिसकी वाद पत्र के तथ्यों से पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादी के वाद का प्रतिवादी ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में सहमति हो चुकी है। परिणाम स्वरूप वाद वादी मुताबिक राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार वादी का वाद पत्र मुताबिक राजीनामा निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 14 एमकेएस खाता संख्या 211/177 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 नहरी मय गै.मु.आराजी का वादी एवं प्रतिवादीगण को निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 का इसी अनुसार हिस्सा कम कर वादी एवं प्रतिवादी का खाता निम्नानुसार अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है:–

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

1. वादी सुखमन सिह के हक हिस्सा की भूमिः–

प.न.	मु.न.	किला नं.
170/243	61	1.2.3.4/0.253 है.प्र. 5/1/0.228 है.. 5/2/0.025 है. गै.मु. रास्ता ,6/1/0.228 है. 6/2/0.025 है. गैमु. रास्ता, 7,8,9,10/0.253 है.प्र.
171/243	62	1/0.253 है.

2. प्रतिवादी संख्या 1 हाकम सिह के हक हिस्सा की भूमिः–

प.न.	मु.न.	किला नं.
172/239	46	24/0.253 है.
172/240	51	4/0.253 है.

अतः इसी अनुसार पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 24.3.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया